



संख्या-265/2026/1/1484655/2026/23-11099(099)/245/2026

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 03-10-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोलिखित तालिका के कालम-2 में अंकित मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संदर्भित पत्रों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 कार्यो, जिनकी विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित 05 वर्षीय अनुरक्षण सहित कुल लागत रु० 12448.60 लाख (रुपये एक अरब चौबीस करोड़ अड़तालीस लाख साठ हजार मात्र) होती है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल धनराशि रु० 6224.28 लाख (रुपये बासठ करोड़ चौबीस लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र०	मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लो०नि०वि० का पत्रांक व दिनांक	सी०एम० आई०एस० नं०	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि की फांट		
						अनु०-58	अनु०-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1634नि०/ 118-02 नि०/26-27, दिनांक 12.08.26	20260000 3104458	कौशाम्बी प्रा०ख०	जनपद कौशाम्बी में जी०टी० रोड से कुरई घाट सम्पर्क मार्ग का 5.50 मीटर की चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई- 8.500किमी०)	1559.48	614.36	165.38	779.74

2	2192नि0/ 145-01 नि0/भाग- 25/26- 27, दिनांक 31.08.26	20260000 3104460	जौनपुर प्रा0ख0	जनपद जौनपुर में सुरिस से पक्खनपुर अर्गुपुर (अ0जि0मा0) मार्ग के चैनेज 0.000 से 6.600 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 6.600 किमी0)	1117.01	440.04	118.46	558.50
3	1698नि0/ 108-01 नि0/26- 27, दिनांक 17.08.26	20260000 3104462	प्रतापगढ़ नि0ख0-2	जनपद प्रतापगढ़ में नौबस्ता चमरूपुर शमसेरगंज अजगरा बहुचरा बोझवा मार्ग(अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 1.70 किमी0, 4.700 से 6.700 किमी0, 14.250 से 23.600 किमी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य(लम्बाई- 13.050 किमी0)	2369.77	933.57	251.31	1184.88
4	2082नि0/ 101-01 नि0/26- 27, दिनांक 29.08.26	20260000 3104464	अलीगढ़ नि0ख0-1	जनपद अलीगढ़ में मुरसान इगलास मार्ग (अ0जि0मा0- 33) पर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 9.800 किमी0)	1784.69	703.07	189.27	892.34
5	2166नि0/ 628-01 नि0/26- 27, दिनांक 31.08.26	20260000 3104467	अमरोहा नि0ख0	जनपद अमरोहा में एन0एच0-24 के किमी0 125 नारंगपुर से बदायूं-बिल्सी- बिजनौर मार्ग(राज्य मार्ग- 51) के किमी0-	2093.09	824.57	221.97	1046.54

				112 (ढक्का मोड़) मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 10.050 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य(लम्बाई- 10.050 किमी0)				
6	2047नि0/ 628-01 नि0/26- 27, दिनांक 29.08.26	20260000 3104472	अमरोहा प्रा0ख0	जनपद अमरोहा में एन0एच0-09 के किमी0 98 से बिजौरा, रखेड़ा, भीमा ठीकरी एवं लुहारी खादर होते हुए राष्ट्रीय मार्ग- 24 से हसनपुर दयावली खालसा मार्ग(अ0जि0मा0) के चैनजे 0.000 से 4.400 तथा चैनेज 5.720 से 9.470 तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई- 8.150 किमी0)	1838.26	724.18	194.95	919.13
7	2045नि0/ 628-01 नि0/26- 27, दिनांक 29.08.26	20260000 3104471	अमरोहा नि0ख0	जनपद अमरोहा में हसनपुर रहरा गवों से करनखाल होते हुए गंगाचोली मार्ग (अ0जि0मा0- 54) के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई- 6.500 किमी0)	1686.30	664.32	178.83	843.15
				योग	12448.60	4904.11	1320.17	6224.28

नियम शर्तें/प्रतिबन्धों

- 1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- 2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- 5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 6- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
- 7- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- 8- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- 9- विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 10- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत कर दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/ मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।
- 11- यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।
- 12- प्रायोजनान्तर्गत यदि भूमि अध्याप्ति निहित हो तो नियमानुसार विभाग द्वारा भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जाय।
- 13- परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से कुल 12 माह में पूर्ण करना तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में यूटिलिटी शिफ्टिंग के संबंध में विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित कार्यों का Verification & Revalidation स्वयं करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

15- विद्युत पोल से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस प्रकार एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्मित मार्ग परियोजनाओं में किया जाता है, उसी प्रकार मार्ग पर स्थित विद्युत पोल को मार्ग के अन्तिम छोर/किनारे पर स्थापित किया जाये, जिससे भविष्य में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण आदि की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यदि भविष्य में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण आदि की प्रक्रिया में विद्युत पोल की शिफ्टिंग की दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उसकी लागत की वसूली/रिकवरी संबंधित अधिशासी अभियन्ता के वेतन/पेंशन से अवश्य की जायेगी।

16- राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं/निर्माण के अन्तर्गत सुनियोजित विकास, सुरक्षा, सौन्दर्यीकरण अथवा किन्हीं अन्य विशिष्ट कारणों से पूर्व में कराये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण आवश्यक एवं अपरिहार्य होने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लोक निर्माण अनुभाग-5, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-158/2023/993/23-5-23-50(40)ईजी/08, दिनांक 12-09-2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया जाय।

17- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जा रही है किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कास्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जाये ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

18- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-221-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर विभागीय व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

19- प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

20- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, मार्ग की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन/परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

21- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व

में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

22- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

23- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

24- परियोजना की लागत व समय सीमा में बढ़ोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

25- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

26- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

27- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

28- उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) 49,04,11,000 (रूपये उन्चास करोड़ चार लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या058 लेखा शीर्षक 5054033371328 प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रू0 13,20,17,000 (रूपये तेरह करोड़ बीस लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या083 लेखाशीर्षक 5054037890500 राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-308-X-2026-27-दिनांक: 22-09-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/2/6/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।